[illegible]लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/22/2022 .... तारीख रजू..............................

पप्पू बनाम भरतलाल ~~[illegible]~~ कौर

[illegible] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थी के वकील ने मुकदमे के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिए नोटिस [illegible] से तलब होकर [illegible] वास्ते हाजरी अप्रार्थी दिनांक 24.2.2022 को पेश हो। SDOK	
25/7/2022	24.2.22 से पत्रावली आज दिनांक 25/7/22 [illegible] वकील [illegible] उपस्थित साप्ताहिक आदेश दिनांक.................. की पालना में पत्रावली वास्ते...... तलबी रजि. SW दिनांक 29/4/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
29.4.22	वकील [illegible] उपस्थित। साप्ताहिक आदेश दिनांक 27.1.22 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि. [illegible] दिनांक 28/7/22 को पेश हो	
19/7/22	पत्रावली [illegible] पेश [illegible] उपस्थित साप्ताहिक आदेश दिनांक 27.1.22 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी [illegible] दिनांक 18/8/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	[illegible] 1/2 1/3 हिस्सा [illegible] विभाजन कर R.D. [illegible] कर दिया [illegible] है [illegible] केन्द्रित जावे [illegible] चाहिए 18.7.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो की तामील में
21/7/23	पक्षकारान उपस्थित। अतः जाति के प्रमाण-पत्र प्रारम्भ प्रमाणित ना होने के कारण खारिज किये जाते है। निर्णय पृथक से लिखाया। जाकर आ० कि० किये गये। पत्रावली मौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील जिला अभिलेख कोष्ठ जमा हो। सुनाया SDM	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/232/2021

वउनवान

1. विश्राम पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
2. धोडा पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर

------ सायलान

बनाम

1. ईमरती पुत्री बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
2. पप्पू पुत्र बंशी जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
3. भरतलाल पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
4. रामेत पुत्र बंशी जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
3. रामपति पुत्री बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
4. लाली पुत्री बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
5. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र 2/22/2022

1. पप्पू पुत्र बंशी जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर

सायल

बनाम

1. भरतलाल पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
2. धोडा पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
3. विश्राम पुत्र बोदन जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
4. ईमरती पुत्री बोदन जाति मीना नि[illegible] तहसील कठूमर
5. रामपति पुत्री [illegible] कठूमर
6. लाली पुत्री [illegible] मीना निवासी [illegible]
7. उप पंजीयक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान

आदेश दिनांक 21/7/23

दोनों प्रार्थना पत्रों में समान आराजी व समान पक्षकार है दोनों प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी वावत दावा तकसीम के साथ पेश किये गये है। प्रार्थना पत्र सं0

2/22/22 प्रार्थना पत्र संख्या 2/232/2021 के साथ एकीकरण किया जाकर दोनों प्रार्थना पत्रों का साथ, एक ही आदेश से निर्णीत किये जा रहे है। आदेश की एक प्रति प्रार्थना पत्र संख्या 2/22/22 के साथ संलग्न की जावे।

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1853 रकवा 0.23 हे. 1854 रकवा 0.53 हे. 1859 रकवा 0.76 हे. 1860 रकवा 0.40 हे. 1861 रकवा 0.06 हे. 1862 रकवा 0. 13 हे. 1863 रकवा 0.75 हे. 1864 रकवा 0.73 हे. 1877 रकवा 0.23 हे. किता 9 रकवा 3.46 हे. व खसरा नम्बर 1887 रकवा 0.58 हे. ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है उपरोक्त विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलानकी शामलात खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायलान एंव गैरसायलान के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं करायेगें और तुझे विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलन अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1–2 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में सायलान व गैरसायलान का कि[illegible] हिस्सा है कुछ भी दर्ज नहीं किया है। सायलान ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से [illegible] नहीं किया है। सायलान को दावा के लिये कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। सायलान एंव गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है। गल्या मीना के तीन लडके क्रमशः बोदन, बंशी व रामजीलाल है। जिनमें से बोदन व बंशी फौत हो गये। जिस बोदन के तीन लडके धोडया, भरतलाल, विश्राम व दो लडकियां ईमरती व लाली है तथा बंशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

के दो लडके पप्पू व रामहेत है तथा रामजीलाल जीवित है। जिस रामजीलाल ने स्वय का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा गैरसायल सं0 5 रामपति के वेचान कर कब्जा दे दिया। जिस रामजीलाल के 1/3 हिस्से की गैरसायल सं0 5 खातेदार, काश्तकार दर्ज है। पक्षकारान मीना जाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। जो पुराने हिन्दु लॉ से गवर्न होते है जिस अनुसार मीना जाति में पिता के मरने के बाद यदि पिता के जीवत लडके है तो पिता की लडकिया का उसकी सम्पत्ति में कोइ अधिकार नहीं होता है अर्थात मेल पुरूष होने पर फिमेल महिलर करे हक वो अधिकार नहीं मिलता है। इसी को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद चल रहा है। जिस अनुसार बोदन के 1/3 हिस्से की आराजी में उसके तीन लडके धोडया भरतलाल व विश्राम को कृषि भूमि उत्तराधिर में मिलेगी। बोदन की दो लडकियां ईमरती व लाली का उसके पिता बोदन की कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं मिलेगा जव गलया मर गया तो उसकी कृषि भूमि उसके तीन लडके बोदन, बंशी व रामजीलाल को 1/3, 1/3, 1/3 भाग अनुसार प्राप्त हो गई। जव बोदन मरा तव उसका विरासत इन्तकाल संख्या 3603 दिनांक 22.09.2020 वो इन्तकाल संख्या 3780 दिनांक 12.07.2021 को गलत रूप से उसके तीन लडकों के साथ साथ ईमरती व लाली के हक में भी 1/15 अनुसार तस्दीक कर दिया गया जो गलत तस्दीक किया गया। जिस वावत पुराने हिन्दु लॉ में मेल पुरूष होने पर फिमेल को कोई अधिकार नहीं मिलता है जिस पर गैरसायल संख्या 3 भरतलाल की ओर से घोषणा खातेदारी वो स्थाई निषेधाज्ञा का दावा व दर0 पहले से ही अदालत श्रीमान में पेश कर रखे है जो विचाराधीन है। जिस मुकदमा में दोनों पक्षों के हक व अधिकार तय होने है। इस वजह से मौजूदा प्रार्थना पत्र सायलान चलने योग्य नहीं है। सायलान का उक्त आराजी में 2/15 नहीं है बल्कि 2/9 हिस्सा है। गैरसायल सं0 1 ईमरती देवी गैरसायल सं0 6 लाली का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा व कब्जा नहीं है। दोनों बहने अपनी ससुराल में रहती है तथा गेरसायल सं0 2 पप्पू का 1/6 हिस्सा वो गैरसायल सं0 3 भरतलाल का 1/9 हिस्सा गैरसायल सं0 4 रामहेत का 1/6 हिस्सा गैरसायल सं0 5 रामपति का 1/3 हिस्सा है तथा मुताविक हिस्सा पक्षकारान मौके पर उक्त हिस्से अनुसार [illegible] करते चले आ रहे है तथा अव इसी विवाद के चलते सालम आराजी [illegible] सायलान विवादित आराजी का तकासमा कराने के अधिकारी नहीं है हाल [illegible] रेकार्ड गलत है। सायलान गैरसायलान को पाबन्द कराने का [illegible] सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Rindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम भनोखर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केस – वहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान सायलान के तथ्यों का विरोध करते हुये मीना जाति पुराने हिन्दु लॉ से गवर्न होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते। ईमरती व लाली का बोदन की जमीन में इन्तकाल गलत रूप से स्वीकार हुआ है जिनका विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। ईमरती व लाली से मिलकर सायलान विवादित आराजी को दीगर लोगों को वेचान करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। सायलान द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत की गई जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से यह प्रमाणित है कि विवादित आराजी सायलान व गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अधिवक्ता गैरसायलान का कथन कि सायल एंव गैरसायलान मीना जाति के सदस्य है। जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता जो पुराने हिन्दु लॉ स गर्वन होते है। जिस पर अधिवक्ता सायलान ने कोई जवाव नहीं दिया और ना ऐसा कोई कानूनी नजीर पेश की जिससे सावित हो कि लाली व ईमरतीदेवी का विरासत इन्तकाल बोदन की जमीन में सही दर्ज हुआ है। विवादित आराजी वर्तमान में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। कानूनन एक खातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायलान को किस तरह का नुकशा[illegible] सावित नहीं किया है। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें [illegible] होना संभव है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित न होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति– विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। बोदन का विरासत इन्तकाल मीना जाति में पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार दर्ज व स्वीकार नही किया गया है। लडके लडकियों के नाम समान विरासत इन्तकाल स्वीकार किया गया

है। जो तथ्य मूल वाद के निर्णय के समय तय किये जायेगें। सायलान को किसी तरह का नुकशान, असुविधा व क्षति हो रही है सायलान सावित करने में असफल रहे है। सायलान ने अपना प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारान के हिस्से अंकित नहीं किये है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें नुकशान व क्षति होना संभव है। सायलान का किसी तरह का नुकशान असुविधा व क्षति होती है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र संख्या 2/232/21 व प्रार्थना पत्र संख्या 2/22/22 सावित ना होने की वजह से खारिज किये जाते है। पत्रावलियों पर जारी स्टे आदेश वेकेट किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21/7/23 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested